रजिस्टर्ड

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर।

पत्रांक 2868/17२ दिनांक 06/09/23

सेवा में,

कंसल्टेन्ट (जुडिशियल)
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,
फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग,
नई दिल्ली-110001

विषयः- **श्री हरपाल सिंह पुत्र स्वर्गीय दीवान सिंह, बामनहेडी, पोस्ट, रामपुर, तहसील सदर, मुजफ्फरनगर द्वारा मा0 नेशलन ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत आवेदन के क्रम में पंजीकृत ओ0ए0सं0 433/2023 के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :- **मा0 नेशलन ग्रीन ट्रिब्यूनल का नोटिस दिनांक 14.08.2023**

महोदय,

कृपया मा0 नेशलन ग्रीन ट्रिब्यूनल के नोटिस दिनांक 14.08.2023 का अवलोकन करने की कृपा करें। जिसके अन्तर्गत श्री हरपाल सिंह पुत्र स्वर्गीय दीवान सिंह, बामनहेडी, पोस्ट, रामपुर, तहसील सदर, मुजफ्फरनगर द्वारा मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत आवेदन के क्रम में पंजीकृत ओ0ए0सं0 433/2023 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री हरपाल सिंह द्वारा उक्त शिकायत में बताया गया है कि जनपद मुजफ्फरनगर में ग्राम बामनहेडी के निकट रूडकी रोड रेलवे ब्रिज के समीप उनकी लगभग 2.5 बीघा कृषि भूमि है। जिसमें दूषित व गंदा पानी भरा रहता है।

उक्त के परिपेक्ष्य में न्यायहित में आपको निम्नानुसार अवगत कराना है जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त दूषित व गंदा पानी लो0नि0वि0 के स्वामित्व वाले किसी मार्ग अथवा नाली/नाला के कारण नही आ रहा है। :-

1. यह कि रेलवे लाईन के एक ओर सुन्दर नगर कॉलोनी व एफ0सी0आई0 का गोदाम है। सुन्दर नगर कॉलोनी व एफ0सी0आई गोदाम से होते हुए रेलवे लाईन तक नाली व टाईल्स की सडक बनी हुई है। जिसका स्वामित्व लो0नि0वि0 का नही है।
2. यह कि मौका स्थल का निरीक्षण करने के उपरान्त यह पाया गया कि सुन्दर नगर कॉलोनी का पानी नाली से होता हुआ रेलवे लाईन के नीचे लगभग पचास वर्ष से पुरानी रेलवे द्वारा निर्मित बॉक्स कल्वर्ट से होता हुआ दिल्ली नीतिपास मार्ग (शहरी प्रभाग) के ओवर ब्रिज के नीचे पूर्व में निर्मित मार्ग पर बनी पाईप कल्वर्ट से होता हुआ आगे की ओर प्राकृतिक रूप से बने कच्चे नाले से होकर काली नदी में जाकर मिलता है।
3. यह कि उक्त कच्चे नाले के बराबर में आवेदनकर्ता श्री हरपाल सिंह की कृषि भूमि है।

4. यह कि रेलवे लाईन बहुत पुरानी है जिसके नीचे बॉक्स कल्वर्ट पूर्व में ही रेलवे द्वारा निर्मित है।

सुन्दर नगर कॉलोनी का दूषित/गंदे पानी का बहाव प्राकृतिक रूप से काली नदी में जाता है।

अतः महोदय उपरोक्त से सम्बन्धित नज़री नक्शा संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि उपरोक्त प्रकरण पर लो0नि0वि0 द्वारा कोई भी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नही है। जिस कारण आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त पंजीकृत ओ0ए0सं0 433/2023 को समाप्त करने की कृपा करें।

संलग्न :- नजरी नक्शा।

06/9/23

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर।

<u>पत्रांक व दिनांक उपरोक्त</u>
<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न सहित सादर सूचनार्थ प्रेषित</u>

1. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. संयुक्त सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (मु0-1), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, सहारनपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0, सहारनपुर।
5. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
6. अधीक्षण अभियन्ता, सहारनपुर वृत्त, लो0नि0वि0, सहारनपुर।
7. श्री हरबंस सिंह, सहायक अभियन्ता को इस निर्देश के साथ प्रेषित उपरोक्तानुसार तथ्यों से मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली को निर्धारित तिथि से पूर्व ही व्यक्तिगत रूप से अवगत कराते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर।

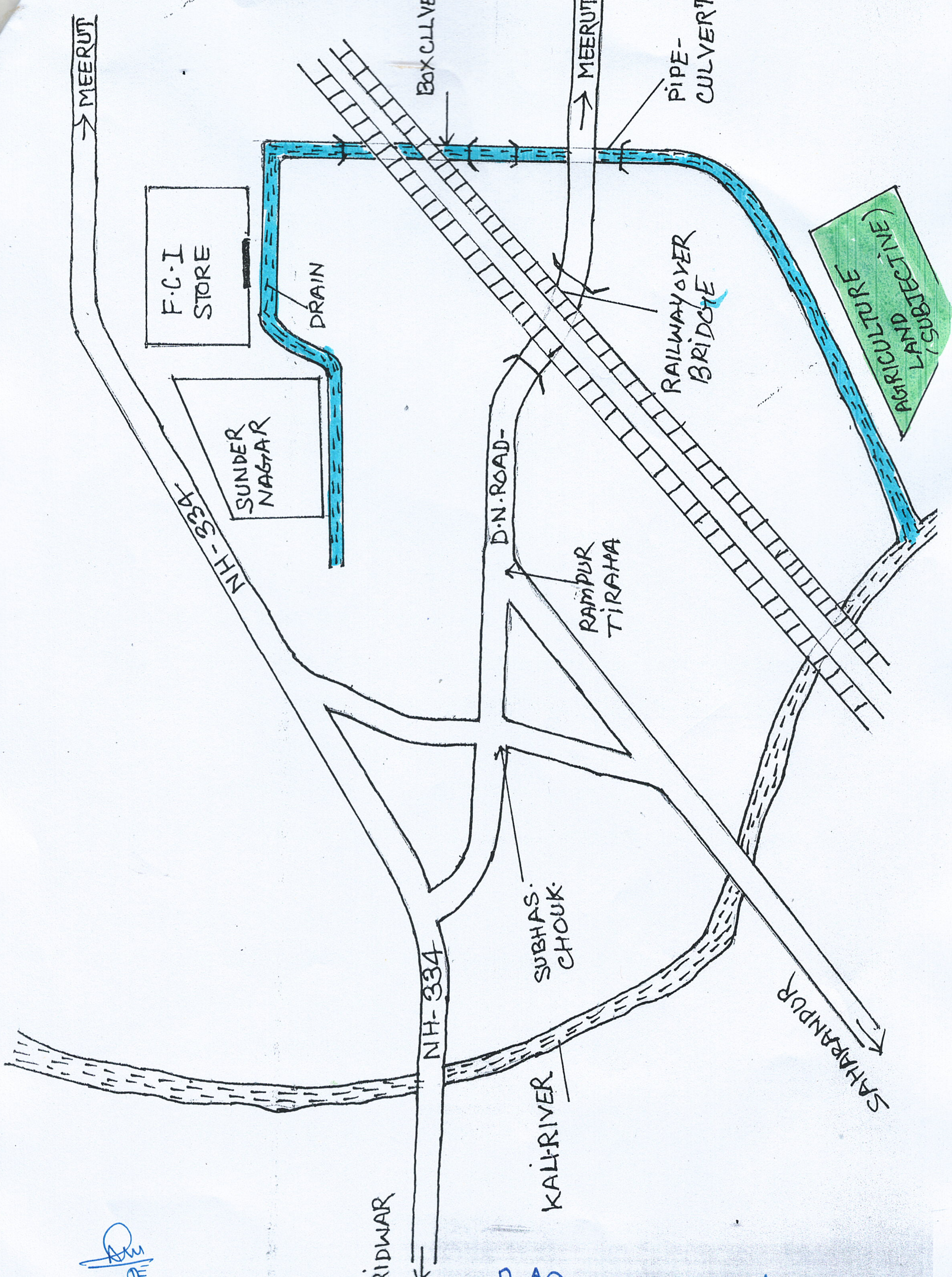
MEERUT
BOX CULVERT
MEERUT
PIPE-CULVERT
F.C.I STORE
DRAIN
SUNDER NAGAR
RAILWAY OVER BRIDGE
AGRICULTURE LAND (SUBJECTIVE)
NH-334
D.N. ROAD
RAMPUR TIRAHA
SUBHAS CHOUK
NH-334
KALI-RIVER
SAHARANPUR
HARIDWAR

OE

A.E